न्यायालय उपखण्ड ....अधिकारी.......................... कठूमर जिला अलवर

...ल नं. ....2/58/2020   तारीख रजू.............................

बलुआ   **बनाम**   मोहनलाल बगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद् में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 272, 273, 274, 276, 277, 270, 271, वाके ग्राम कुटटीन साहबदास तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 24.08.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 24.08.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24.8.20	... करोना ... उप०/P.O. ... ... पत्रावली दिनांक ~~8/3/21~~ 22/2/21 को पेश हो। Sd/-	
22.2.21	......वकील प्रार्थी......उपस्थित साबिक आदेश दिनांक..........18.6.20 की पालना में पत्रावली वास्ते.......... ... दिनांक.....18/5/21..............को पेश हो Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/5/22	[illegible] रिपोर्ट प०/P.O. बाबत ...[illegible]... पत्रावली दिनांक 25/11/22 को पेश हो। [signature]
25/11/22	पत्रावली 19/4/22 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान् ...... साहमा नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 12/12/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
12/12/22 Not Press अनुपालना में	पत्रावली मुख्य कार्ड के साथ पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी अपने दा० का दावा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र को Not Press कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली में दर्ज शुमार होकर [illegible] से [illegible] बाद तकमील मुख्य कार्ड के साथ [illegible] रहे। [signature] [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)